प्रदत्त विधान (DELEGATED LEGISLATION)

• प्रदत्त विधान का अर्थ (MEANING OF DEFLEGATED LEGISLATION)

'प्रदत्त' का अर्थ होता है- दिया गया अथवा सौंपा गया।
'विधान' का अर्थ होता है- कानून, विधि अथवा विधि (Low) निर्माण कार्य।
इस प्रकार प्रदत्त विधान का अर्थ है, वह विधान अथवा कानून जो मौलिक नहीं हो बल्कि दिये गये अथवा सौंपे गये अधिकार के अन्तर्गत निर्मित किया गया है।
व्यवस्थापिका कानून बनाती है, परन्तु समय, आवश्यकता, कार्यभार और इनके चलते व्यवस्थापिका द्वारा (वह विषय जो व्यवस्थापिका के अधिकार के अन्तर्गत है) कार्यपालिका को कई कार्यों तथा क्षेत्रों के सम्बध में अधिनियम के माध्यम से कानून निर्माण का अधिकार प्रदान करती है, कार्यपालिका द्वारा जो कानून एवं विधान बनाये जाते हैं उन्हें ही 'प्रदत्त विधान' कहा जाता है।
जिस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त विधान बनते है, उसी के अधीन उन्हें रखना पड़ता है। इसी कारण प्रदत्त विधान को 'अधिनस्थ विधान' (SUBORDINATE LEGISLATION) भी कहते हैं।

• प्रत्यायोजन (DELEGATION) = कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्ति को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकार सहित सौंपना 'प्रत्यायोजन' है। अर्थात् प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्च अधिकारी को अपने कार्यों को अधिनस्थ अधिकारियों को वितरित करता है, जिससे की क्रियात्मक एवं प्रबन्धकीय विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सके।

एफ॰जी॰ मूरे के अनुसार- "प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्ति को कार्य का वितरण करना है और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना है।"

Scanned with CamScanner

NOTE :- प्रदत्त विधान तथा प्रत्यायोजन मे अन्तर होता है - प्रत्यायोजन प्रशासन और कार्यपालिकाधिकारीयो के बीच की चीज़ है | इसका सम्बध किसी दूसरे अंग से नही है|
दूसरी तरफ प्रदत्त विधान व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को जोड़ने वाली एक कड़ी है, इसमे दोनो अलग अलग अंगो (व्यवस्थापिका एंव कार्यपालिका) ~~सम्ब~~ मे सम्बध होता है|

- प्रदत्त विधान का वर्गीकरण (DELEGATED LEGISLATION CLASSIFIED)

उद्देश्य एंव अर्थ को ध्यान मे रखते हुए प्रदत्त व्यवस्थापन को तीन भागो मे बॉटा गया है - (i) आकस्मिक प्रदत्त व्यवस्थापन (ii) पूरक प्रदत्त विधान ; तथा (iii) अर्थबोधक प्रदत्त विधान |

- प्रदत्त विधान के साधारण एंव असाधारण प्रकार (NORMAL AND EXCEPTIONAL KINDS OF DELEGATED LEGISLATION)

1- साधारण प्रदत्त विधि निर्माण - साधारण प्रदत्त विधान की दो विशेषता है-
(i) इस पर संसदीय विधि की सीमाएँ या शर्ते लगी रहती है फलस्वरुप न्यायपालिका द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है|
दूसरे सिद्धान्त के मामले मे विधि निर्माण या कर लगाने सम्बधी मामले को इसके द्वारा प्रदान नही किया जाता है|

2- असाधारण प्रदत्त विधि निर्माण - (i) असाधारण प्रदान द्वारा सिद्धान्त-मूलक विधान बनाने या कर लगाने की विधायी शक्ति दी जाती है|
(ii) संसदीय अधिनियमो को सशोधित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है|
(iii) प्रदत्त सत्ता की कोई सीमा नही होती क्योकी औपचारिक रूप से ही नही बल्कि यर्थाथ रूप मे न्यायालयो के ~~[illegible]~~ नियन्त्रणो का

Scanned with CamScanner

निषिद्ध कर दिया जाता है।

NOTE प्रदत्त विधान का साधारण से असाधारण रूप मे भेद 'डोनोमोर समिति' ने किया था।

- **प्रदत्त विधान के लाभ (ADVANAGES OF DELEGATED LEGISLATION)**

1- संसद के समय की बचत (TIME OF PARLIAMENT SAVED): प्रदत्त विधान से संसद विधानमण्डल या धारा-सभा की बचत होती है। कार्यपालिका अथवा प्रशासन छोटी छोटी बातों पर विधान बनाते है, जबकि संसद सिद्धान्तो और नीति सम्बधी बडे मामलो पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है।

2- प्रदत्त विधान नमनीय (DELEGATED LEGISATEN FLEXIBLE): विज्ञान और औद्योगिक के युग मे विभिन्न क्षेत्रो में नये नये परिवर्तन हो रहे है। कानून मे नमनीयता (लचीलापन) होना चाहिए ताकि परिवर्तन परिस्थितियो का ~~प्रति~~ प्रत्युत्तर दिया जा सके। प्रदत्त विधान नमनीय होते है।

3- ~~विशेष~~ विशेष ज्ञान का उपयोग (UTILISATION OF EXPERT KNOWLEDGE): संसद मे सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग होते है, उन्हे कानूनी विस्तारो, तकनीकी मामलो की सूझ बूझ कम होती है। प्रशासन मे विशेष ज्ञान रखने वाले अधिकारी है। उनके विशेष ज्ञान के उपयोग का अवसर प्रदत्त विधान से मिलता है।

4- अनपेक्षित घटनाओ का समुचित सामना (UNFORESEEN CONTINGENCIES ADEQUATELY MET): अनपेक्षित घटनाओ का समुचित पूर्वानुमान नही किया जा सकता क्योकी कोई भी संस्था सर्वव्यापक और स्वदेशी नही होती। कार्यपालिका अधिकारी प्रदत्त विधान के जरीए नियम तथा उपनियम बनाकर उत्पन्न हुई परिस्थिती का सामना अच्छी तरह करती है।

Scanned with CamScanner

5- प्रभावित हितो से परामर्श (INTERSTE AFFECTED CONSULTED): मे लोकतन्त्रिक विधि और युग यह माग है कि कानून निर्माण की अवधि मे प्रभावित होने वाले हितो, समुदायो से परामर्श कर लिया जाय। अतः प्रशासनिक अधिकारी हितो तथा समुदायो आदि से सुगमतापूर्वक परामर्श कर सकते है।

6- तत्काल प्रबन्ध (INSTANT PROVISION): युद्ध, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिती मे प्रदत्त विधान तत्काल प्रबन्ध करता है।

7- मुकदमेबाजी का परिहार (AVOIDANCE OF LEGISIATION): कुछ लोगो का कहना है कि कार्यपालिका द्वारा बनाया विधान अधिक स्पष्ट होता है जिसके फलस्वरूप मुकदमेबाजी कम होती है।

- प्रदत्त विधि की आलोचना (DELEGATED LAGISIATION CRITICIZED):

प्रदत्त विधि निर्माण पद्धति के अनेक दोष है। सर जॉन ~~मेरियट~~ मेरियट का कहना है "यह मेरा गहन विश्वास है कि कार्यपालिका को अर्द्ध न्यायिय तथा अर्द्ध विधायी कार्य सौपने की ओर ब्रिटिश संसद की एक बढती हुई मनोवृति सम्पूर्ण रूप से अनिष्टकारी है इसपर रोक लगायी जानी चाहिए।"
लार्ड हैवर्ट ने प्रदत्त विधान को 'नवीन निरकुशता' की संज्ञा दि है इस खतरे के सम्बध मे "The New Despotism" नामक पुस्तक लिखी है।

1- नागरिक स्वतन्त्रा पर आघात (BLOW TO INDIVIDUAL LIBERTIES)
प्रदत्त विधान की प्रणाली कार्य-
-पालिका के हाथो मे विधान बनाने की शक्ति देती है। कार्यपालिका

Scanned with CamScanner

अधिकारी नियम की आड़ मे एक कार्यो के निष्पादन की ~~आम~~ धुन मे नागरिक स्वतन्त्रता पर आघात करते है।

2- प्रतिनिधित्व के बिना कर नही (NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION) संसद कभी कभी कार्यपालिको को कर ~~लगाने~~ (TAX) लगाने की भी शक्ति देता है। कर लगाने का अधिकार धारा सभा को है जिसे प्रदान नही किया जाना चाहिए।

3- नीति सम्बंधि मामलो का प्रदान आपत्तिजनक (DELEGATION OF POLICY MATTERS OBJECTIONABLE): नीति ~~नि~~-निर्माण कानून की रचना संसद का कार्य है। अति महत्वपूर्ण मामलो को कार्यपालिका को प्रदान नही करना चाहिए।

4- न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया जाता है (JURISDICTION OF THE COURTS OUSTED): संसद प्रदत्त विधान सम्बंधी अधिनियम पारित करते समय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सिमित करती है। कार्यपालिका द्वारा जो नियम बनते है उन्हे न्यायालय मे आपत्तिजनक नही माना जाएगा। ऐसे मे कार्यपालिका की शक्ति अनियन्त्रित होती है यह लोकतन्त्र का उपहास तथा तानाशाही प्रशासन का राग है।

5- प्रभावित हितो तथा व्यक्तियों से परामर्श नही (AFFECTED INTEREST AND INDIVIDUALS NOT CONSULTED): आलोचको का कहना है कि प्रशासन जनता की इच्छा जानने मे रुचि नही दर्शाती है।

6- अधिकार पत्र अनिश्चित (THE CHARTER INDEFINITE): संसद जिस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका को विधायीनी अधिकार प्रदान करती

Scanned with CamScanner

है; उनकी धाराऐ सुनिश्चित और स्पष्ट नही होती है।

7- नियमो का ठीक ढंग से प्रकाशन नही (RULES POORLY PUBLISHED) प्रदत्त विधि (विधान) सामान्य जनता तक नही पहुँच पाते है। सरकारी नियमो का उचित प्रकाशन नही होता है तथा जनता के साथ धोखाधडी बढ़ती है।

8 सेवक स्वामी बन जाते है (THE SERVANT MY BE TRANSFORMED IN TO THE MASTER): डोनोमोर समिति ने यह कहा था। कार्यपालिका संसद की सेविका है वह उसके आदेशो और नियमो का पालन करती है परन्तु सेविका को अधिक छूट देने से वह स्वामी बनने का प्रयत्न करता है।

प्रदत्त विधान के विरुद्ध अनेक आलोचनाऐ की जाती है मुख्य बात यह है कि कार्य पालिका की शक्ति बढाने वाले तत्वो पर रोक लगायी जानी चाहिए। प्रदत्त विधान एक आवश्यक बुराई है। डॉनोमोर समिति ने ठिक ही कहा था की "प्रदत्त विधान की प्रणाली कुछ निश्चित लक्ष्यो के लिए कुछ निश्चित सीमाओ के अन्तगर्त, तथा कुछ निश्चित अभिरक्षणो के अधिन न्यायसंगत एवं सवैधानिक रूप से वाछनीय दोनो है।"

* * *